

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(90)नविवि / 3 / 2008पार्ट-1

जयपुर, दिनांक: १८ FEB 202

अधिसूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 19(3) के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिसूचित राजस्थान के विरक्तार उपक्षेत्र (जिला भरतपुर) हेतु तैयार को गई विस्तारित राजस्थान उपक्षेत्रीय योजना-2021 (सब रीजनल प्लान-2021) का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त विस्तारित राजस्थान उपक्षेत्रीय योजना-2021 की प्रति का अवलोकन कार्यालय मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान जयपुर में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अ.)
(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, प्रथम तल, कोर 04-बी, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड़, नई दिल्ली।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग एवं डीएमआईसी, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. अध्यक्ष, रीको, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
16. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला भरतपुर एवं अलवर की समस्त नगरपालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों को सूचित करावें।
17. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।

18. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
19. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
20. जिला कलक्टर, अलवर।
21. जिला कलक्टर, कोटा।
22. जिला कलक्टर, भरतपुर।
23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी।
24. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
25. सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर।
26. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
27. चौरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राज पत्र के असाधारण अंक दिनांक 18.02.2020 प्रकाशित कराये जाने बाबत् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
28. रक्षित पत्रावली।

३
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय